कार्यालय मुख्य वन सरंक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
पत्रांक– 1845 /11–सी–FP/UP/Rail/41878/2019, लखनऊ, दिनांकः दिसम्बर 22 ,2021

सेवा में,

वन संरक्षक,
वाराणसी वृत्त,
वाराणसी।

विषय.– पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा औड़िहर–जौनपुर रेलवे सेक्शन के अंतर्गत रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण में जनपद गाजीपुर (किमी0 1.900 से 10.900 तक) में प्रभावित 6.50572 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं 09 वृक्षों/पौधों के पातन तथा जनपद जौनपुर में (किमी0 10.900 से 57.400 तक) प्रभावित 43.41704 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं 1337 वृक्षों/पौधों के पातन अर्थात कुल 49.92276 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 1346 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः– भारत सरकार का पत्रांक–8बी/यू0पी0/07/118/2021/एफ0सी0/392, दिनांक 17.09.2021, इस कार्यालय का पृष्ठांकन सं0–978/11–सी–FP/UP/Rail/41878/2019, दिनांक 21.09.2021 एवं आपका पत्रांक–1649/29–1, दिनांक 21.12.2021

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में 04 बिन्दुओं पर सूचनाएं मांगी गयी थी, जिसके क्रम में आपके द्वारा केवल बिन्दु सं0–03 की सूचना ही इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है तथा सभी बिन्दुओं की बिन्दुवार सूचना (निर्धारित टेबुलर फार्म में) एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख इस कार्यालय को प्रेषित नहीं किया गया है।

अतः अनुरोध है कि भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा की गयी आपत्तियों का पूर्ण बिन्दुवार निराकरण (निर्धारित टेबुलर फार्म में) एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख तीन प्रतियों में संस्तुति सहित इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– 1845 /11–सी– FP/UP/Rail/41878/2019, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रभागीय निदेशक, गाजीपुर/जौनपुर/ओबरा।
2. अवर अभियन्ता/कार्य/निर्माण/बी0एस0वी0, उत्तर रेलवे, वाराणसी।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

Acy-572